श्री भजन लाल : सभापति महोदय, कास्ट आफ प्रोडक्शन के बारे में जो इन्होंने कहा है कि खेती करने पर लागत कितनी आती है तो वह अलग हिसाब है। जो हम किसान को रपोर्ट प्राइस देते हैं, भाव तय करते हैं किसान का उस समय कास्ट आफ प्रोडक्शन जो कि 3200 रुपए तकरीबन प्रति हैक्टेयर आती है लगाकर भाव तय करते हैं।

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: The Minister is talking something different from what I asked. I asked a specific question: what is the cost of production as far as wheat is concerned in the demonstration plots?

श्री भजन लाल : सभापति महोदय हम 500 रुपये प्रति केयर सहायता के तौर पर सब्सिडी किसानों को दे हैं।

श्री सभापति : डिमांस्ट्रेशन प्लाट्स जो आपने बनाये हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं।

श्री भजन लाल : मैं उनके बारे में जिक्र कर रहा हूं। उनको 500 रुपया प्रति हेक्टेयर सरकार की तरफ से देते हैं और बाकी किसान ने अपनी मेहनत करनी होती है जो आम किसान करता है। सरकार की तरफ से उसको 500 रुपये देते हैं प्रति हेक्टेयर।

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: I seek your protection, Sir. I seek the protection of the Chair. What is the cost of production in the demonstration plots.

श्री भजन लाल : 500 रुपया सरकार देती है बाकी के किसान खुद खर्च करता है। सरकार जो मदद करती है वह 500 रुपये की है।

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: I do not want the subsidy component. I want to know the cost of production.

श्री भजन लाल: कास्ट आफ प्रोडक्शन का इसमें क्या मतलब है। लेकिन भाव तय करते समय कास्ट का हिसाब लगाया जाता है जोकि प्रति हैक्टेयर 3200 रु. अन्दाजन बैठती है।

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir only one small question I would like to put to the Minister. About research, I would like to put a question.

MR. CHAIRMAN: Put quickly.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, research is being done by universities and by departments. But it is not reaching the farmer in time. It takes seven years, six years. What steps is the Government taking in regard to wheat production so that research benefits reach the farmers in time?

श्री भजन लाल : सभापति महोदय, देश में आई.सी.ए.आर...युनिवर्सिटी कृषि विभाग के सब वैज्ञानिक जाकर बतलाते हैं, जानकारी देते हैं। उसीका नतीजा है कि इतना उत्पादन बढ़ा है।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को निर्माण कार्यों के लिए अनुमति

*301. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों की फैडरेशन ने दिल्ली में ऊंची इमारतें बनाने के प्रस्ताव का विरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा 17 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों की निर्माण योजनाओं के संबंध में, जो दिल्ली नगर कला आयोग तथा अग्निशमन विभाग द्वारा अनुमोदित कर दी गई थीं तथा जो दिल्ली विकास प्राधिकरण के तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा उनके मंत्रालय को भेज दी गई थी, दिल्ली विकास प्राधिकरण को अभी तक निदेश जारी न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) ऊंची इमारतें बनाने के संबंध में सरकार की वर्तमान नीति क्या है और सरकार इन 17 सहकारी समितियों को कब तक इस सम्बन्ध में आवश्यक निदेश जारी कर देने का विचार कर रही है, जिस से वे अपने लम्बित नक्शे मंजूर करवाने के बाद निर्माण कार्य आरम्भ कर सकें?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई): (क) से (ग) सहकारी सामूहिक आवास समितियों की फैडरेशन ने शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 8-2-88 को जारी किये गये मार्गनिर्देशनों को ध्यान में रखते हुए ऐसी समितियों की समस्याओं पर प्रकाश डाला है। इन मार्गनिर्देशनों के अनुसार, सामूहिक आवास (रिहायशी क्षेत्र) के लिए, अधिकतम अनुमेय फर्शी क्षेत्र अनुपात 250 है और अधिकतम प्रति तल कवरेज उस प्लाट का 25 प्रतिशत होना चाहिए। शेष 75 प्रतिशत में केवल भवन का रास्ता तथा चारों ओर का हरित क्षेत्र शामिल होना चाहिए तथापि, ये मार्गनिर्देशन केवल गगनचुम्बी निर्माण अर्थात् 45 फीट से अधिक ऊंचाई वाले भवनों अथवा 4 से अधिक मंजिल वाले भवनों पर लागू होते हैं। फर्शी क्षेत्र अनुपात फ्लोर कवरेज आदि के बारे में कम ऊंचे भवन, प्लाट के क्षेत्रफल का कम से कम 50 प्रतिशत भाग हरित भाग के लिए छोड़ने की शर्त पर पहले के मार्गनिर्देशनों द्वारा ही नियंत्रित रहेंगे। पार्किंग तथा भवन का रास्ता अन्य 50 प्रतिशत में समायोजित करना होगा। पार्किंग के लिए भूमिगत बेसमेंट की अनुमति, भवन लाइन से आगे आवरण लाइन तथा विस्तार के लिए, इस शर्त के साथ दी जा सकती है कि वास्तविक भवन लाइन से आगे बेसमेंट की ऊपरी छत का स्तर भूस्तर के बराबर होना चाहिए और इसे हरित क्षेत्र बनाने के लिए समुचित रूप से भू-दृश्य किया जाना चाहिए।

ऐसी 20 सामूहिक आवास समितियां हैं, जहां नक्शे दिल्ली नगर कला आयोग द्वारा अनुमोदित किये गये थे किन्तु संशोधित मार्गनिर्देशन के जारी होने के पीछे इन्हें रोक दिया गया। ऐसी 9 समितियां नये मार्गनिर्देशनों के अनुरूप संशोधित नक्शों का प्रयास कर चुकी हैं।

Setting up of AIR Station and Doordarshan Kendra at Gaya (Bihar)

*305. SHRIMATI SURYAKANTA JAYAWANTRAO PATIL: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government have decided to set up AIR Station and Doordarshan Kendra at Gaya (Bihar);

(b) whether Government have also received some representations in this regard; and

(c) if so, what are the details of the action Government have taken or proposed to take in this regard?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI H. K. L. BHAGAT): (a) to (c) Whereas a low power TV transmitter is already operating at Gaya, there is no proposal to set up AIR Station or Doordarshan Kendra at Gaya (Bihar) under the approved VIIth Plan Schemes. Some representations have been received regarding the setting up of a radio station and Television Centre at Gaya. Their demand has been examined and will be given due consideration while formulating proposals for the VIIIth Plan. However, it will depend upon the availability of financial resources and relative priorities.

Reclamation of land affected by floods in Punjab

*306. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that large areas of irrigated land in Punjab have turned uncultivable following the deposit of sand during the recent floods; and

(b) if so, how this land is proposed to be reclaimed and by when?